संख्या- 329 /2025/ 3192 /चार-2025-1886120

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक: 20 नवम्बर, 2025**

विषयः- स्वतंत्रता दिवस समारोह, 2025 के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों एवं कार्यक्रमों की अन्य व्यवस्थाओं पर हुए वास्तविक व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 3144/सं0नि0-15(46)/2025-26, दिनांक 03 नवम्बर, 2025 तथा पत्र संख्या- 1893/सं0नि0-15(46)/2025-26, दिनांक 24 सितम्बर, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा स्वतंत्रता दिवस समारोह, 2025 के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों एवं कार्यक्रमों की अन्य व्यवस्थाओं पर हुए वास्तविक व्यय रू0 33,90,700.00 की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया है।

2. संस्कृति निदेशालय के पूर्व पत्र दिनांक 24.09.2025 में उल्लिखित किया गया है कि शासन के पत्र संख्या- 2257/चार-2025-1886120 दिनांक 01 अगस्त, 2025 में प्राप्त प्रशासकीय स्वीकृति के क्रम में दिनांक 15 अगस्त, 2025 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में एक भारत श्रेष्ठ भारत के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की कला संस्कृति के साथ-साथ देश के अन्य प्रदेशों यथा- मध्य प्रदेश, बिहार, सिक्किम, गुजरात एवं छत्तीसगढ के कलाकारों द्वारा दिनांक 12 से 14 अगस्त, 2025 तक कार्यक्रम का पूर्वाभ्यास एवं दिनांक 15 अगस्त, 2025 को विधान सभा के समक्ष मुख्य प्रस्तुति की गयी। शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवथानुसार कार्यक्रम से पूर्व प्रतिभाग करने वाले कालाकरों के मानदेय धनराशि का 50 प्रतिशत अग्रिम भुगतान की कार्यवाही कर दी गयी है शेष 50 प्रतिशत मानदेय एवं कार्यक्रम की व्यवस्थाओं पर हुए व्यय का भुगतान किया जाना प्रस्तावित किया गया है। यह भी अवगत कराया गया है कि दिनांक 15 अगस्त, 2025 को आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा प्रतिभागी कलाकारों को अयोध्या धाम में प्रभु श्री रामचन्द्र जी के दर्शन कराने तक कलाकारों के मानदेय एवं कार्यक्रमों की अन्य व्यवस्थाओं पर हुए वास्तविक व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

क्र.	कलाकार का नाम	बिल संख्या/ दिनांक	50 प्रतिशत अवशेष मानदेय धनराशि	किराया	कुल मानदेय
1	श्री संजय शर्मा, कोरियोग्राफर	15.08.2025	80,000.00	40,000.00	1,20,000.00
2	श्री संदीप यादव, सह कोरियोग्राफर	15.08.2025	12,500.00	-	12,500.00
3	श्री रवि कुमार शर्मा, सह कोरियोग्राफर	15.08.2025	12,500.00	-	12,500.00
4	सुश्री प्रतिभा शर्मा, सह कोरियोग्राफर	15.08.2025	12,500.00	-	12,500.00
5	श्री भरत लाल प्रसन्ना, वाराणसी	15.08.2025	50,000.00	23,100.00	73,100.00
6	श्री लक्ष्मीनारायण, वाराणसी	15.08.2025	50,000.00	23,100.00	73,100.00
7	पाणिनि कन्या महाविद्यालय (सुश्री नन्दिता शास्त्री)	15.08.2025	50,000.00	23,100.00	73,100.00
8	सुश्री सोना, सोनभद्र	15.08.2025	50,000.00	26,400.00	76,400.00
9	सुश्री संगीता आहूजा, अयोध्या	15.08.2025	50,000.00	9,900.00	59,900.00
10	प्रो0 ज्योति पन्त एवं श्री दीपक बाजपेयी (युवराजदत्त स्नातकोत्तर	15.08.2025	50,000.00	9,900.00	59,900.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	महाविद्यालय लखीमपुर खीरी)				
11	मो0 सिद्दीकी, लखनऊ	15.08.2025	-	-	20,000.00
11	श्री नमन श्रीवास्तव ,लखनऊ (वालिन्टियर)	15.08.2025	-	-	4,000.00
12	श्री शुभम सिंह, लखनऊ (वालिन्टियर)	16.08.2025	-	-	5,000.00
13	डॉ0 अल्का निवेदन, लखनऊ (उदघोषक)	15.08.2025	-	-	10,000.00
14	मे0 होटल गोमती, लखनऊ	क्रे-482-25, 18.08.2025			6,68,019.00
15	मे0 ड्रीम-360, लखनऊ	182, 18.08.2025			19,411.00
		181, 18.08.2025			19,529.00
16	मे0 अडेस्पेक्ट पीआर प्रा0लि0, लखनऊ	जेम-62651482, 21.08.2025			97,500.00
		जेम-62518189, 18.08.2025			21,250.00
17	मे0 रिचि रिच, लखनऊ	0128/26.08.2025			2,25,496.00
		0129/26.08.2025			1,34,379.00
		0130/26.08.2025			20,844.00
18	मे0 आल सीजन्स, लखनऊ	25002 से 25015 तक /19.08.2025			2,79,939.00
19	मे0 एम0आर0 ट्रेवेल्स, लखनऊ	116/23.08.2025			16,800.00
		117/23.08.2025			13,440.00
		118/23.08.2025			16,800.00
		133/23.08.2025			37,051.00
		134/23.08.2025			51,824.00
		135/23.08.2025			69,100.00
		137/23.08.2025			69,100.00
		138/23.08.2025			69,100.00
		140/23.08.2025			12,350.00
		142/23.08.202			12,350.00
मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 के आवास पर कलाकार सम्मान समारोह पर हुए व्यय					
	मे0 बनारसी टेन्ट एण्ड फर्नीचर हाउस, लखनऊ	84/23.08.2025			1,03,886.00
	मे0 दक्षित मल्टी सर्विसेज, लखनऊ	जेम-62584665, 19.08.2025			63,000.00
		जेम-62584473, 19.08.2025			1,87,500.00
		जेम-62584761, 19.08.2025			2,62,500.00
	मे0 रिचि रिच, लखनऊ	0131/26.08.2025			1,77,503.00
अन्य प्रदेशों से आये कलाकारों को श्री राम मंदिर, अयोध्या भ्रमण पर हुए व्यय					
	मे0 एम0आर0 ट्रेवेल्स, लखनऊ	139/23.08.2025			50,400.00
	मे0 तिरूपति होटल, अयोध्या	16.08.2025			79,629.00
योग रूपये तैंतीस लाख नब्बे हजार सात सौ मात्र					33,90,700.00

3. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर कराये गये सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभागी कलाकरों के मानदेय एवं अन्य व्यवस्थाओं तथा मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा कालाकारों को सम्मानित किये जाने तथा अन्य राज्यों के प्रतिभागी कलाकारों को अयोध्या धाम में प्रभु श्री रामचन्द्र जी के दर्शन आदि कराये जाने पर हुए वास्तविक व्यय **रू0 33,90,700.00 (रूपये तैंतीस लाख नब्बे हजार सात सौ मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

(5) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(8) संबंधित संस्था/ कलाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि को संस्थान के बैंक खाते में समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।

(9) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निवर्तन पर है, अत: बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(10) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-13-आजादी का अमृत काल महोत्सव-42 अन्य व्यय मद से वहन किया जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।